

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबंधन,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2017  
विषय:- माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका/विशेष अपील तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रायः देखा जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका/विशेष अपील तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने हेतु प्रस्ताव शासन में अत्यन्त विलम्ब से उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा प्रस्ताव के साथ याचिका से संबंधित पूर्ण अभिलेख भी समय से उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिससे याचिका योजन की शासन द्वारा अनुमति दिये जाने में अनावश्यक रूप से विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होती है तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका/विशेष अपील तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजन के समय विलम्ब मर्षण का आधार भी प्रस्तुत करने में अत्यन्त कठिनाई उत्पन्न होती है। इन कारणों से मा० न्यायालय के समक्ष शासन का पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत न हो पाने के कारण शासन की छवि धूमिल होती है तथा वाद की प्रभावी पैरवी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका/विशेष अपील तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका निर्धारित समयान्तर्गत योजित करने हेतु प्रस्ताव भेजने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

- (1) कार्यालय मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय की रिट याचिका/विशेष अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका योजन पर परामर्श।
- (2) रिट याचिका/विशेष अपील/ विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किये जाने का आधार।
- (3) रिट याचिका/विशेष अपील/ विशेष अनुज्ञा याचिका योजन किये जाने के प्रस्ताव पर संबंधित मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. उक्त रिट याचिका/विशेष अपील एवं विशेष अनुज्ञा याचिका योजन का प्रस्ताव भेजने के पूर्व उपर्युक्त समस्त औपचारिकतायें नोडल अधिकारी (कोर्टकेस, मुख्यालय इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ) द्वारा समयान्तर्गत कार्यवाही एवं परीक्षण कर आयुक्त, स्टाम्प मुख्यालय इलाहाबाद/महानिरीक्षक निबंधन, शिविर कार्यालय लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित न किये जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिक का उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कृपया दण्डात्मक कार्यवाही भी किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-डब्लू-193(1)/94स्टा०नि०-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
4. अनुभाग अधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 को समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

(सुधीन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।